



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/1015 30.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यातकों को स्व-सील करने की अनुमति की वैधता अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने परिपत्र संख्या 14/2026-सीमा शुल्क दिनांक 27 ^{मार्च} 2026 जारी किया है, जिसमें परिपत्र संख्या 26/2017-सीमा शुल्क और परिपत्र संख्या 36/2017-सीमा शुल्क के तहत निर्यातकों को दी गई स्व-सील करने की अनुमति के लिए निर्धारित वैधता अवधि पर स्पष्टीकरण दिया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 01.07.2017 के परिपत्र संख्या 26/2017-सीमा शुल्क के अनुसार पात्र निर्यातक/व्यापारी निर्यातक को एक बार स्व-सील करने की सुविधा प्रदान किए जाने के बाद, इसकी कोई निर्धारित वैधता अवधि नहीं है। यह अनुमति तब तक वैध बनी रहेगी जब तक कि अनुपालन न करने, सुविधा का दुरुपयोग करने या किसी अन्य वैध कारण से संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा इसे विशेष रूप से वापस नहीं लिया जाता, निलंबित नहीं किया जाता या रद्द नहीं किया जाता।

विस्तृत परिपत्र के लिए कृपया यहां देखें : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260330123659.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल